UPSI120001012004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ– सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(कुंवर दिव्यदर्शी)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3421
दाण्डिक वाद संख्या–712/2004

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन।

<u>बनाम</u>

01. कमलेश
02. प्रकाश,
03. मुन्शी।
04. जयपाल, पुत्रगण बचान, निवासी ग्राम कमलापुर, निवासी ग्राम मौजुद्दीनपुर, थाा मानपुर, जनपद सीतापुिर। **...............अभियुक्तगण।**

एन०सी०आर० सं० 136/2004
धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना बिसवाँ, जनपद– सीतापुर।

<u>निर्णय</u>

वादी मुकदमा रंगी लाल, के द्वारा थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर की पुलिस को दी गयी सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना बिसवाँ की पुलिस द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण कमलेश, प्रकाश, मुन्शी व जयपाल के विरुद्ध एन०सी०आर० सं० 136/2004, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं०, के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा रंगी लाल ने थाना बिसवाँ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की पंजीकृत करवायी कि प्रार्थी जाति का लोनिया है तथा विपक्षीगण जाति के यादव हैं। प्रार्थीगण विपक्ष संख्या 1 ता 4 के मध्य वादी उपस्थित आकर सूचना जुबानी दिया कि पैसे के लेन देन को लेकर कुछ समय पहले वाद विवाद हुआ था। कल शाम को मजदूरी करके वापस घर आ रहा था की रामपुर पुलिया के पास अभियुक्तगण मिले। गाली गुप्ता करने लगे। मना करने पर डण्डों व लात घूसों से मारा। शोर करने पर छोटकन्ने व डालचन्द्र व अन्य लोग आ गये जिन्होंने बचाया। प्रतिवादीगण जान एवं माल की धमकी देते हुए चले गये। रिपोर्ट को आया हूँ। जो लिखा पढ़वाकर सुना। ठीक है। निशानी अंगूठा बनाता हूँ।

वादी मुकदमा की उक्त तहरीर पर पुलिस थाना बिसवाँ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 97/2001, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० पंजीकृत कि गयी तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी।

विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना का मानचित्र बनाया गया एवं घटना के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण कमलेश, प्रकाश, मुन्शी व जयपाल के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा सम्मन के माध्यम से तलब किया गया। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आया तथा अपने जमानतनामें दाखिल किये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्राप्त करायी गयीं।

दिनाँक 24.09.2005 को अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० विरचित किये गये। विरचित किये गये आरोप को अभियक्तगण को

Digitally signed by KUNWAR DIVYADARSHI
Date: 2026.07.04 17:28:07 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan

पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने विरिचित किये गये आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन की ओर से अपने कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्षियों के रूप में निम्नलिखित साक्षियों को परीक्षित कराया गया है।

क्रम०सं०	साक्षी का नाम	साक्ष्य का प्रकार
1.	रंगी लाल	मुख्य तथा प्रति परीक्षा
2.	डालचन्द्र	मुख्य तथा प्रति परीक्षा

अभियोजन द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

क्रम०सं०	प्रलेख	प्रदर्श
1.	आरोप पत्र	–
2.	एन०सी०आर०	–
3.	नक्शा नजरी	–
4.	चिकित्सा आख्या रंगीलाल	–
5.	प्रार्थना पत्र 155(2) सी०आर०पी०सी	प्रदर्शक क 1

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष के विभिन्न प्रलेख की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया।

अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त दिनाँक 15.05.2026 को अभियुक्तगण का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को फर्जी है, साक्षी पी०डब्लू० 1 रंगी लाल, पी०डब्लू० 2 मनोहर के बयान के विषय में मैं जानता हूँ, मुकदमा क्यो चला मारपीट, बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना व और कुछ नहीं कहना है, कहा।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्कों को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

साक्ष्य विश्लेषणः– न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

साक्षी पी डब्लू 1 रंगीलाल ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दो साल सात माह समय 7:00 बजे पूर्व की है। मैं बिसवाँ मजदूरी करने आया था। यहां से घर वापस जा रहा था। रामपुर पुलिया के पास पहुंचा मुंशी जयपाल सिंह मिले। कमलेश भी मिले। मेरा कमलेश की दुकान पर कुछ पैसा बकाया था। मैंने पैसा मांगा तो मुल्जिमानों ने कहा कि आज तो रुपया तुम्हारा आओ अदा कर दें और चारों लोग लात घूंसा लाठी डंडा से मारा और जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि रिपोर्ट लिखाओगे तो जान से मार दूंगा। मौके पर गवाह छुटकन्न, लालचंद्र पहुंच गए थे। इन लोगों ने घटना को देखा। बीच बचाव किया। मैं चोट लगने के कारण दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट ठेलिया से थाना आकर जुबानी सूचना देकर रिपोर्ट लिखवाया। मेरी डॉक्टरी सरकारी अस्पताल बिसवाँ में हुई थी। मेरे बांह जांघ व पीठ में चोट आई थी। जब कार्यवाही नहीं हुई तब तहसील बिसवाँ आया। विवेचना हेतु प्रार्थना पत्र 155 (2) न्यायालय में दिया जिस पर न्यायालय द्वारा विवेचना हेतु आदेश हुआ। गवाह ने शामिल पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 155 (2) सी०आर०पी०सी० को देखकर कहा कि यही दिया था जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। दरोगा जी ने बयान लिया था और नक्शा नजरी मौके पर जाकर बनाया था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। घटना

सावन के बाद के माह की है। मैं बिसवाँ मजदूरी करने आता हूँ। मैं शाहिद के भट्टे पर मजदूरी करता हूँ। मैं जाति का लोनिया हूँ। कमलेश की दुकान पान की गुरेरा चौराहे पर है। उस दिन पान की दुकान पर सचिन कुमार थे। घटना के दिन मुल्जिमान दुकान पर नहीं थे। मैं बिसवाँ वापस लौटा इनके पान की दुकान पर गया। सचिन से पान लगवाया। मैंने पान खाया था। 20 का नोट दिया। उसने कहा कि पैसा वापस नहीं करूंगा। कहा कि भैया को बुलाकर ला रहा हूँ। गरौरा से लालपुर 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां साइकिल से गया। बिसवाँ से लालपुर की दूरी 5 किलोमीटर है। लालचंद्र लालपुर के रहने वाले हैं। छुट्कन्ने रामपुर के रहने वाले हैं। मेरे गांव के पहले रामपुर पड़ता है। लालचंद्र मेरे साथ मजदूरी करने बिसवाँ आते हैं। यह घटना शाम के 6:00 बजे की है। मुझे तारीख नहीं मालूम है। घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना बिसवाँ ठेलिया से आया था। मेरे साथ में लालचंद्र और मेरे पिताजी आए थे। लालचंद्र मेरे बिरादरी के हैं और खानदानी हैं। रिश्ते में लालचंद्र मेरे छोटे भाई लगते हैं। रिपोर्ट लिखाने थाना में 10:00 बजे आ गया था। मेरे घर से सुबह 8:00 बजे चला था। मैंने रिपोर्ट लिखकर नहीं दी थी। मैंने बयान किया था। जो बयान किया था, वही लिखा गया था। पैसे वाली बात घटना के पहले कोई बात नहीं हुई थी। दूसरे दिन सुबह डॉक्टरी कराई थी। डॉक्टरी 10:00 बजे कराई थी। मारपीट की घटना रामपुर के पश्चिम हुई थी। उससे डामर रोड दूर है। जब मेरे मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई तब एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया था। जो प्रार्थना पत्र वकील साहब के माध्यम से न्यायालय में दिया था। तारीख याद नहीं है। प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था? याद नहीं है। मारपीट चोट वाली बात लिखाई थी। मैंने चार लोगों के नाम लिखाया था। मौखिक वाली जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें भी चार लोगों का नाम लिखाया था। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था तब मनोज कुमार वकील थे। प्रार्थना पत्र 155 (2) में मेरे द्वारा बोलकर लिया था। बोलकर बनाया गया था। घटना के तीन माह बाद बयान लेने दरोगा जी आए थे। घटना के पहले कमलेश आदि का मुझसे कभी विवाद नहीं हुआ था। दरोगा जी को बताया था कि पहले पैसे का विवाद था। मुंशी लाल डंडा लिया था। प्रकाश के हाथ लाठी थी। कमलेश के पास बल्लम था। डंडा छोटा तथा और लाठी बड़ा होता है। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगणों ने लाठी डंडा से मारा न हो और धमकी न दिया हो। मेरे शरीर पर तीन चार जगह चोटें आई थी। यह कहना गलत है कि पैसे की रंजिश के कारण झूठा मुकदमा लिखा दिया है। मैं व कमलेश एक ही गांव में रहते हैं। फिर कहा कि अलग –अलग गांव में रहते हैं। डॉक्टरी की मूल कॉपी अपने वकील मनोज को दे दिया था। एन०सी०आर० की कॉपी भी मनोज को दे दिया था। मैंने एन०सी०आर० में चार लोगों के नाम लिखाया था। मारपीट रामपुर के दक्षिण हुआ था। लालपुर को रात को गया था। वह पूर्व से पश्चिम को गया है। घटना स्थल से लालपुर की दूरी आधा किलोमीटर है। घटना स्थल से चौराहा गरौरा 1 किलोमीटर पड़ता है। घटना स्थल से गवाह लालचंद 5 से 6 मीटर की दूरी पर थे। दूसरा गवाह है वह घटना स्थल से 200 मीटर की दूरी पर था। दरोगा जी जब गांव आए थे तथा तब घटना स्थल बताया था। यह रिपोर्ट थाना में लिखाई थी। मारपीट के समय मैं जान नहीं पाया था कि किसके हाथ में क्या था। यह कहना गलत है कि मुझको मुल्जिमानों ने मारा पीटा ना हो। यह कहना गलत है कि मैं कमलेश के दुकान पर पान खाता था। पैसा मांगने पर मैंने झूठा मुकदमा मुल्जिमानों के खिलाफ लिखा दिया हो।

साक्षी पी०डब्लू० 2 डाल चंद्र ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मैंने अभियुक्तगण कमलेश, प्रकाश, मुंशी व जयपाल के द्वारा वादी मुकदमा रंगीलाल को लाठी डंडों से मारते पीटते नहीं देखा न ही गंदी गंदी गालियां देते सुना न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना। मैंने घटना भी नहीं देखी थी। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था। मुझे घटना की जानकारी अगले दिन सुबह पता चला। गवाह को इस स्तर पर पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन को जिरह की अनुमति प्रदान की गयी। साक्षी को धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता का बयान पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने मेरा बयान कैसे लिख लिया इसकी कोई वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि विपक्षी के डर व धमकी की वजह से आज न्यायालय में सच बात

नहीं बता रहा हूँ। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण कोर्ट में झूठी गवाही दे रहा हूँ। बचाव पक्ष के द्वारा प्रति परीक्षा में साक्षी ने कथन किया कि मैंने कमलेश तथा मुंशी जयपाल को रंगीलाल को लाठी डंडा मारते पीटते नहीं देखा न ही गाली गलौज करते हुए सुना और न ही जान से मारने की धमकी देते सुना।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट् है कि साक्षी पी०डब्लू० 01 रंगीलाल ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि घटना दो साल सात माह समय 7:00 बजे पूर्व की है। चारों लोग लात घूंसा लाठी डंडा से मारा और जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि रिपोर्ट लिखाओगे तो जान से मार दूंगा। मौके पर गवाह छुटकन्न, लालचंद्र पहुंच गए थे। इन लोगों ने घटना को देखा। कमलेश की दुकान पान की गुरेरा चौराहे पर है। उस दिन पान की दुकान पर सचिन कुमार थे। घटना के दिन मुल्जिमान दुकान पर नहीं थे। दरोगा जी जब गाँव आए थे तब घटना स्थल बताया था। साक्षी पी०डब्लू० 02 डालचन्द्र ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि मैंने अभियुक्तगण कमलेश, प्रकाश, मुंशी व जयपाल के द्वारा वादी मुकदमा रंगीलाल को लाठी डंडों से मारते पीटते नहीं देखा न ही गंदी गंदी गालियां देते सुना न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना। मैंने घटना भी नहीं देखी थी। पत्रावली पर उपलब्ध साक्षी पी०डब्लू० 01 रंगीलाल एवं साक्षी पी०डब्लू० 02 डालचन्द्र के बयानों में स्पष्ट विरोधाभाष प्रतीत होता है क्योंकि न्यायालय के समक्ष पी०डब्लू० 02 डालचन्द्र ने स्वयं कहा है कि **रंगीलाल को लाठी डण्डों से मारते पीटते देखा नहीं है, न ही गन्दी गालियाँ देते सुना है न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना है। मैंने घटना नहीं देखा है।** इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 01 ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया है कि मौके पर गवाह डालचन्द्र पहुँच गये थे परन्तु साक्षी पी०डब्लू० 02 ने कहा है कि मैंने घटना नहीं देखा जिससे यह प्रतीत होता है कि घटना को लेकर दोनों बयानों में स्पष्ट विरोधाभाष (**Major contradiction**) है। इसके अतिरिक्त साक्षी पी०डब्लू० 01 ने यह भी कहा है कि गवाह छोटकन्न ने देखा परन्तु छोटकन्ने ने न्यायालय के समक्ष आकर कभी भी अपना बयान दर्ज नहीं कराया। अतः साक्षी पी०डब्लू० 01 व पी०डब्लू० 02 के बयानों में विरोधाभाष है। **साक्षी पी०डब्लू० 01 रंगीलाल एवं साक्षी पी०डब्लू० 02 डालचन्द्र के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभाष है घटनाक्रम को लेकर। हथियार को लेकर।** यदि गवाह अपनी गवाही देते हुए बताता है कि वह वहाँ पर नहीं था तो पूरी गवाही संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्यों में स्पष्ट विरोधाभाष है जिस कारण अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान किया जाता है।

पत्रावली पर साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करना सुरक्षित नहीं है और ऐसे साक्ष्य जो कि चिकित्सीय साक्ष्य एवं परिस्थितियों से सामंजस्य नहीं रखते है, को सजा का आधार बनाना एक भारी भूल होगी तथा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करना ही समीचीन प्रतीत होता है।

चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि चिकित्सा एक औपचारिक साक्ष्य होती है जो कारित हुई चोटों के सम्बंध में केवल अपना मत व्यक्त करता है। यह सही है कि ये चोटें अन्य कारणों से भी आ सकती है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि अभियुक्तगण के मारने पीटने से यह चोटें आयीं। इस तर्क के सम्बंध में न्यायालय अभियोजन के मत से सहमत नहीं है तथा अभियोजन के कथनों में एवं चिकित्सा साक्ष्य में विरोधाभाष उत्पन्न होता है। उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों में विरोधाभाष उत्पन्न होता है।

न्यायालय विशेषज्ञ रिपोर्ट मात्र से पदकार्य निवृत्त नहीं हो जाते (Court not functus officio because of expert opinion)– न्यायालय पर विशेषज्ञ रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती है। विशेषज्ञ का कार्य एक राय तक ही सीमित है। मेडिकल साध्य मात्र

राय की साक्ष्य है और यह निर्णायक नहीं बन सकती है। **(मनीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान, ए०आई०आर० 1993 एस०सी० 2453)**

चिकित्सक द्वारा इस बावत केवल संभावना व्यक्त की गयी है। चूंकि चिकित्सक एक चश्मदीद साक्षी नहीं होता है केवल औपचारिक साक्षी होता है। इसलिए किसके द्वारा चोट कारित की गयी हैं इस बारे में कोई ब्यान नहीं दे सकता है केवल इतना बता सकता है कि ये चोटें किस प्रकार के हथियार से आ सकती है अथवा किस प्रकार से गिरने अथवा किसी चीज से टकराने अथवा किसी नुकीली चीज से टकराने से भी आ सकती है।

दौरान अन्तिम बहस बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपना केस सन्देह से परे साबित करना होगा और केवल अपने साक्ष्य से ही अपना केस सन्देह से साबित करना होगा जिसके लिये सबूतों की ना टूटने वाली चैन होनी चाहिए जिसमें किसी तरह के होल नहीं होने चाहिए तभी अभियोजन केस साबित माना जायेगा। यदि अभियोजन ऐसा साबित करने में असफल होता है तो सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को मिलेगा।

Ram Manohar and others Vs. State of U.P. – Criminal Appeal 2109 of 1980 September 27, 1999 (Allahabad High Court)–Criminal Trial–The prosecution story has been reconstructed and evidence has been attempted to be tailored– Prosecution evidence does not stand a close scrutiny– Therefore, accused are entitled to be benefit of doubt. Touching the different aspects of the case in the light of the judicious evaluation of the evidence on record, we are of the opinion that the prosecution story has been reconstructed and the evidence has been attempted to be tailored accordingly. But several unpatchable holes are visible and the evidence of the prosecution does not stand a close scrutiny. The ocular version also as discussed hereinabove. For the reasons contained in the discussion made hereinabove, we finally reach the conclusion that the prosecution case against the accused are entitled to the benefit of doubt.

Muneshwar Singh Vs. State OF U.P.– Reference No. 9 of 1999 and Cr. A. No. 1798 of 1999 May 10, 2000 (Allahabad High Court) Criminal Law– Jurisprudence– Settled law– Prosecution has to prove the guilt of accused beyond all reasonable doubt– Any number of culprits may go scot free but a single innocent person should not be punished. The well settled law of criminal jurisprudence is that it is for the prosecution to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt. The criminal jurisprudence follows the eternal principle that any number of culprits may go scot– free but not a single innocent person should be punished. The present case against the accused seems to be largely built on suspicion only. There fore, On over all consideration of the Evidence and Circumstances accused entiled to benefit of doubt.

Sitaram Seth and others Vs. State of U.P. [2014 (85) ACC 182] – Criminal Appeal 2758 of 1985, March 11, 2014 (Allahabad High Court) Burden of prosecution– Never shifts– No good reason advanced by the deceased in support of his plea of false implication– Cannot be a ground to hold him guilty– Burden always on the prosecution to establish it's case by adducing natural and reliable evidence.– For the aforesaid reasons we are of the view that the prosecution has been unable to produce cogent and reliable evidence for establishing the complicity of the crime.

Banne alias Baijnath and others Vs. State – Criminal Appeal 1358 of 1980, February, 2000, (Allahabad High Court) Well established principle – Onus of proving all the ingredients of an offence– Is always upon the prosecution– At no stage it shifts to the accused – Accused is to explain or controvert it only when this burden is discharged by prosecution. Before coming to the evidence which has been brought on record, we may first state that is is well established that the onus of proving all the ingredients of an offence is always upon the prosecution and at no stage the same shifts to the accused. It is only when this burden is discharged that it will be for the accused to explain or controvert the essential elements in the prosecution case which would negative. It is not for the accused at the initial stage to prove something which was to be eliminated by the prosecution to establish the ingredients of the offence with which the accused is charged, and even where the onus shifts upon the accused and the accused has to establish his plea, like the plea of self defence, the standard of proof is not the same as that which rests upon the prosecution. The standard of proof which the accused may discharg in support of his plea in defence is not the same which the prosecution is required to adhere and once the probability of the accused's plea is established he is entitled to the benefit of doubt.

बचाव पक्ष की ओर से दौरान अन्तिम बहस यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा गवाहान के लिये गये ब्यानों में व न्यायालय में गवाहान द्वारा दिये गये ब्यानों में यदि गम्भीर विरोधाभाष पाया जाता है तो इसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्तगण को मिलेगा और ऐसी दशा में अभियुक्तगण दोषमुक्त होने के हकदार होंगे।

अतः उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा गहनता से किये गये सम्यक परिशीलन से अभियोजन कथानक पर सन्देह से परे विश्वास नहीं किया जा सकता है। अत्यधिक विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और उक्त साक्ष्य को भी विवेचक तथा चिकित्सक के प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित नहीं कराया गया है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं। दाण्डिक विधि का प्रतिस्थापित सिद्धान्त है कि साक्ष्य का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है। अभियोजन को सन्देह से परे यह साबित करना होता है कि अभियुक्त द्वारा ही कथित अपराध कारित किया गया है और यदि अभियोजन द्वारा अपने कथानक को सन्देह से परे साबित नहीं किया जाता है तो अभियोजन की निर्बलता व कमियों का लाभ सदैव अभियुक्त को मिलता है। अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारण न्यायालय द्वारा तब तक की जाती है जब तक अभियोजन द्वारा अभियुक्त को दोषी साबित नहीं किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था "हरिजना नारायण एवं अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य ए०एल०आर० 2003 ए०सी० 2851" में यह अभिनिर्धारित किया है कि "जब अभियोजन कथानक में विभिन्न स्तर पर विरोधाभाष दिखायी देता है और न्यायालय की स्थिति असमंजस वाली हो जाती है तथा न्यायालय के लिये सत्यतता की खोज करना थोड़ा कठिनाई पूर्ण लगता है और सत्यतता की खोज करने में असमर्थ होते है और यह पाया जाता है कि सत्यतता और मिथ्यापन जटिल ढंग से मिश्रित हो गये हैं और वास्तव में उन्हें पृथक करना कठिन है तो ऐसे साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सकता है।"

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य, ब्यानों में स्पष्ट विरोधाभाष साबित होता है जो कि सामान्य प्रकृति का नहीं है और न ही स्वाभाविक है। यह सही है कि सामान्य प्रकृति के विरोधाभाष से अभियोजन कथानक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है परन्तु जहां यह

विरोधाभाष असामान्य प्रकृति का हो और major contradictions हो तो ऐसी दशा में अभियोजन कथानक पर विश्वास न न्यायसंगत नहीं होता है।

अतः प्रस्तुत मुकदमें के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत में अभियोजन पक्ष अपना केस सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है जिस कारण अभियुक्तगण कमलेश, प्रकाश, मुन्शी व जयपाल, लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **कमलेश, प्रकाश, मुन्शी व जयपाल** को एन०सी०आर० सं० 136/2004, धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना बिसवाँ, जनपद सीतापुर के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं उनके जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही के पश्चात नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित की जाये।

निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 04.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर
JO Code-UP3421

आज दिनाँक 04.07.2026 को उपरोक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 04.07.2026

(कुंवर दिव्यदर्शी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिसवाँ सीतापुर
JO Code-UP3421

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/-